225

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 4(19) आरडी / एनआरईजीएस / नरेगा / पी.ओ. / 2009–10 जयपुर, दिनांक:– 18/9/09

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के सबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैः–

1. वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों का संविदा अनुबंध संविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। **पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी ही अब योजनान्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी होगा।**

2 संविदा पर रखे जाने वाले **कनिष्ठ तकनीकी सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा रहेगी।** यदि उक्त योग्यतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं हो तो कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा, उसके उपरांत मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा एवं अंत में इलैक्ट्रीकल इंजिनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा अभ्यर्थीयों को प्राथमिकतानुसार अनुबंध पर नियोजित किया जा सकता है। **कनिष्ठ तकनीकी सहायक हेतु अन्य किसी योग्यताधारी को नहीं रखा जावे एवं अन्यथा योग्यताधारी कार्मिकों का संविदा अनुबंध समाप्त होने पर आगे नहीं बढाया जावेगा।**

3. संविदा पर रखे जाने वाले **कनिष्ठ तकनीकी सहायक** के साथ जिला स्तर से ही **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुबंध करेगें**, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। ताकि जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इनसे आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में काम ले सके।

4. **लेखा सहायक** हेतु न्यूनतम योग्यता **बी.कॉम./ सी.ए. (इन्टर)/ आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/ सी.एस. (इन्टर)** रहेगी।

5. **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक मय एक वर्ष का ओ. लेवल. का कम्प्यूटर डिप्लोमा होगा, यदि प्रार्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से पी.जी.डी.सी. ए है तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

6 जिन ग्राम पंचायतों में पहले से ही किसी भी योजना में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, उन पंचायतों में केवल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ही संविदा पर रखे जावें। शेष पंचायतों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन रखें जावें।

7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक केवल जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होगा एवं पचायती राज के समस्त कार्मिकों के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के सबंधं में जिला कार्यकम समन्वयक की संस्तुति अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यवाही करेगें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

16/9

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजि सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
3 निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4 अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5 रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, ईजीएस